न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

प्रतापराम पुत्र केसराराम

जाति राईका निवासी सिणली चोसीरा

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कोजाराम पुत्र सुजानाराम 2. गणेशाराम पुत्र [illegible]

3. ग्राम पंचायत सिणली जागीर, 4. तिलवाड़ा

5 तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री प्रतापराम स्वंय वादी।
2..श्री गणेशाराम प्रतिवादीगण
3. तहसीलदार, पचपदरा

निर्णय

दिनांक :– 15.12.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 487/100, 383, 94 रकबा 2.10 व 25.0 बीघा, सरहद मौजा सिणली चोसीरा व तिलवाड़ा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम इकमाराम होने से राजस्व रेकर्ड में इकमाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम प्रतापराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, [illegible] का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज इकमाराम के स्थान पर प्रतापराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:28:15 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम हुकमाराम के स्थान पर प्रभुराम दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार (पचपदरा) तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 487/100, व 383/94 रकबा 2-10 व 25-00 बीघा सरहद मौजा सिणली चोखीरा व सिमवाड़ा तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम हुकमाराम दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम हुकमाराम दर्ज किया गया है वादी का सही नाम प्रभुराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 487/100 व 383/94 रकबा 2-10 व 25-00 बीघा, सरहद मौजा सिणली चोखीरा व सिमवाड़ा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम हुकमाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर प्रभुराम पुत्र केसाराम खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को कोर्ट केम्प कोर्ट [illegible] में मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:28:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट ....बरिया बरेला

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रभुराम पुत्र केसराराम जाति राईका निवासी सिणलीचोसीरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		फोजाराम, मुकेशाराम पिता सुजानाराम जाति राईका नि. सिणली चोसीरा ग्राम पंचायत सिणली जागीर, [illegible] राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ....प्रभुराम.... ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ....मुकेशाराम.... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ....487/100, 383/94.... रकबा ....2-10, 25-[illegible].... बीघा, सरहद मौंजा ....सिणलीचोसीरा व [illegible].... ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....इकमाराम.... पुत्र ....केसराराम.... के स्थान पर ....प्रभुराम.... पुत्र ....केसराराम.... खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....15-12-2021.... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:28:15 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		